



उत्तर प्रदेश UTAR PRADESH

FY 539229

NOTARY  
H. J. HANDE

महोदय गौरी (अधिका) एवं सैय्यद शहीनुद्दीन (सचिव) कनक अस्पताल एवं अतिरिक्त जहांगीरखान इन्फ्लेमेशनल डिस्पेंसरी (अधिका) एवं अखुन कजल एम्बलेड कार्मिका कार नई दिल्ली सम्बन्धित पत्राचार करते हैं।

1- यह कि हमारी साक्षात् / दस्तावेज द्वारा जहांगीरखान इन्फ्लेमेशनल ऑफ फार्मसी, जहांगीरखान बाराबंकी नामक हिलोमा इन फार्मसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023-24 से किया जाता है।

2- यह कि साक्षात् दस्तावेज के नाम ग्राम जहांगीरखान सहलीला नगरपालिका जिला बाराबंकी से नाटा संख्या 21 स्कवा 2 एकड एवं 0.800937 हेक्टेयर भूमि है।

3- यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भार किसी भी न्यायलय में नहीं चला रहा है और भूमि विवाद रहित है।

4- यह कि उपरोक्त पत्र पर दस्तावेज के नाम उपरोक्त भूमि के नाटा संख्या 21 स्कवा 2 एकड एवं 0.800937 हेक्टेयर पर उपरोक्त नाम की हिलोमा इन फार्मसी संस्थान की स्थापना किया जाने का प्रस्ताव साक्षात् / दस्तावेज के द्वारा 12-12-2023 द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

5- यह कि उपरोक्त भूमि पर ही प्रथमतः हिलोमा फार्मसी संस्थान के संचालन हेतु भवन का निर्माण अनुमोदित नगरपालिका के अनुसार किया गया है।



Handwritten signatures and dates at the bottom right of the document.

- 6- यह कि निरीक्षण समिति के समस्त उपरोक्त पदों पर सोसाइटी / ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उद्यम पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों का ही निरीक्षण समिति के समस्त निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।
- 7- यह कि इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मशी कॉमिज ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के नियमों के अंतर्गत ही डिप्लोमा फार्मशी संस्थान का ही संचालन किया जाएगा।
- 8- यह कि इस संस्था में फार्मशी कॉमिज ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रविष्टि प्रदान किया जाएगा।
- 9- यह कि उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मशी कॉमिज ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद का प्रो. अध्यक्ष के सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद / विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित / सम्बद्ध कोई अन्य संस्था / विद्यालय / महाविद्यालय / आई. टी. आई. आदि का संचालन न हो पूर्व में कभी किया गया है, और न ही भविष्य में कभी किया जाएगा।
- 10- यह कि संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक कक्षा कम, प्रयोगशालाएं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मशी कॉमिज ऑफ इंडिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जाएगा।
- 11- यह कि संस्था के संचालन हेतु आवश्यक वित्तीय एवं प्रशासिक स्टाफ की तैयारी सोसाइटी / ट्रस्ट द्वारा शीघ्र प्रारम्भ के पूर्व कर लिया जाएगा।
- 12- यह कि शासन / परिषद द्वारा निर्मित निर्देश / आदेशों का सर्वथा पूर्ण पालन करना यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में गलतियोंनुसार कोई भी कमी पाई जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अतिरिक्त होगा एवं मुझे मान्य होगा वरु हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाई नहीं की जाएगी।
- 13- मैं घोषणा करता हूँ की मेरे द्वारा की गयी उपरोक्त सूचना मेरी किसी जानकारी में पूर्ण सत्य के बारे में सभी जानकारी एवं अभिलेख / दस्तावेज करणी, कूररचित जयका सुदिपूर्ण पत्र जाते हैं जो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून समत कार्यवाई की जा सकेगी ऐसे की नयी विधिक कार्यवाई हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊंगा।



*Mangar Lal*  
 HO सचिव

*P. S. Anand*  
 HO अध्यक्ष

Notary Seal and Stamp at the bottom right corner of the page.